

श्री राम गोपाल मन्दिर न्यास डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अंकक्षण अवधि 01.01.2009 से 31.12.2010

भाग-एक

प्रस्तावना :- वर्तमान लेखा परीक्षा द्वारा संपरीक्षित अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण/संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत रहे :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री एच0एल0 इन्दौरिया (तहसीलदार)	10.06.08 से 09.03.09
2	श्री आई0एस0 भारद्वाज (एस0डी0एम)	10.03.09 से 15.11.10
3	श्री सुशील शर्मा (एस0डी0एम)	15.11.10 से 31.12.10

संस्था का पिछले तीन साल का आय-व्यय विवरण निम्नानुसार था :-

क्रम संख्या	वर्ष	आय	व्यय	अन्तर
1	2008	2043796 /-	293385700 /-	(-) 890061 /-
2	2009	3977861 /-	1981014 /-	1996847 /-
3	2010	24526336 /-	4752164 /-	19774172 /-

गत अंकक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाही की पड़ताल करने के बाद कुछ पैरों का निपटारा किया गया तथा शेष अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है जिनके निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा सतिष्यण उत्तर इस विभाग को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।

(क) अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.03.96 से 31.12.98 तक

1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 21	अनिर्णीत

7 पैरा 24

अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000 तक

1 पैरा 7(घ)

अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002 तक

1 पैरा 9

अनिर्णीत

2 पैरा 10

अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2004 तक

1 पैरा 6

अनिर्णीत

2 पैरा 8

अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.05 से 31.12.08 तक

1 पैरा 4

निर्णीत (मन्दिर लेखों की नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 3 में दर्शाई गई है)

2 पैरा 5

निर्णीत (₹61600/- की वसूली चैक संख्या: 525994 द्वारा कर ली गई है)

3 पैरा 6

निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में दर्शाई गई है)

4 पैरा 7

निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 में दर्शाई गई है)

5 पैरा 8

अनिर्णीत

6 पैरा 9

अनिर्णीत

7 पैरा 10

अनिर्णीत

8 पैरा 11

अनिर्णीत

भाग-दो

वर्तमान अंकेक्षण :-

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल के वर्तमान लेखों (1/2009 से 12/2010) का अंकेक्षण/जॉच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री भवनीश पुरी, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 21.03.2011 से 30.03.2011 तक के दौरान डमटाल

कार्यालय में किया गया। माह 6/09, 10/09, 3/10 व 5/10 के लेखों का चयन आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण शुल्क :-

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल डमटाल के वर्तमान लेखों (1/2009 से 12/2010) का अंकेक्षण शुल्क ₹9,900/- आंका गया है उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 के नाम बैंक ह्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 171, दिनांक 30.03.11 द्वारा अनुरोध किया गया।

(क) वित्तीय स्थिति :-

मन्दिर न्यास श्री राम गोपाल डमटाल, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2009 व 2010 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

	वर्ष 2009	वर्ष 2010
अन्तशेष	7,45,31,141.00	7,65,27,988.00
पवातियों	36,31,869.00	24,53,107.00
ब्याज	3,45,992.00	2,20,73,229.00
कुल योग	7,85,09,002.00	10,10,54,324.00
व्यय	19,81,014.00	47,52,164.00
अन्तशेष	7,65,27,988.00	9,63,02,160.00

अन्तशेष का विवरण :-

दिनांक 31.12.2010 को बैंक में जमा राशि

9,63,40,647.00

हस्तगत राशि

2,501.00

अन्तर

40,988.00

दिनांक 31.12.2010 को रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष

9,63,02,160.00

अन्तर का कारण :-

दिनांक 31.12.2010 को रोकड़ बही अनुसार अन्तःशेष

9,63,02,160.00

(+) जमा

चैक जो जारी किए गए परन्तु दिनांक 31.12.2010 तक भुगतान हेतु पस्तुत नहीं हुए

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	जिसे जारी किए गए	राशि
1	678171	06.12.10	मोहन सिंह एंड सन्ज	2,218.00
2	678172	06.12.10	पताभिया फिलिंग स्टेशन	1,868.00
3	—	09.12.10	नीरज मल्होत्रा	12,500.00
4	584967	31.12.10	संजीव कुमार	64,312.00
5	678401	31.12.10	अशवनी कुमार	21,401.00
6	678402	31.12.10	अशवनी कुमार	5,729.00
				9,64,10,188.00

(-) माईनस

चैक जो बैंक में पस्तुत किए गए परन्तु दिनांक 31.12.10 तक बैंक में जमा नहीं हुए :-

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	जिससे प्राप्त किए गए	राशि
1	074167	06.12.10	भारत पेट्रोलियम	9,680.00
2	1084528	23.12.10	मैहता एंड कम्पनी	27,000.00
3	1084529	23.12.10	मैहता बजरी कम्पनी	3,000.00
4	360769	23.12.10	ओम प्रकाश	8,000.00
5	070062	31.12.10	भारत पेट्रोलियम	9,680.00
6	456398	31.12.10	हिन्दोस्तान पेट्रोलियम	9,680.00
				9,63,43,148.00
हस्तगत राशि				2,501.00
				9,63,40,647.00

दिनांक 31.12.2010 को बैंक अनुसार शेष राशि

दिनांक 31.12.2010 को बैंक जमा का विवरण :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक डमटाल	092DP002000738	15,041.00
2	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक कन्दरोड़ी	2010-20	14,983.00
3	एस0बी0आई डमटाल	11429689832	3,04,903.92
4	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला नूरपुर	55104358358	12,066.64

5	स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला कन्दरोड़ी	55100094011	3,086.44
			3,50,081.00
	प्रिन्सिपल "क" अनुसार सातहिक जमा में निवेश		9,59,90,566.00
		कुल जोड़	9,63,40,647.00

(ख) सोना :- अंकेक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सोने की प्राप्ति मन्दिर न्यास के खातों से नहीं दर्शाई गई है।

(ग) चांदी :-

	वर्ष 2009	वर्ष 2010
आरम्भिक शेष	—	511 ग्राम
वर्ष के दौरान प्राप्त मात्रा	511 ग्राम	—
अन्तशेष	511 ग्राम	511 ग्राम

किराये के रूप में प्राप्त राशि ₹19,360/- को जमा न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन इमटाल से रसीद संख्या 226, दिनांक 26.11.09 बैंक संख्या 314674 द्वारा राशि ₹9,680/- किराये के रूप में वसूल किए गए व इसी प्रकार हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से रसीद संख्या 233, दिनांक 16.12.09 बैंक संख्या 317355 द्वारा राशि ₹9,680/- किराये के रूप में वसूल किए गए। जबकि किराये के रूप में प्राप्त उपरोक्त राशियों को किस दिनांक को रोकड़ बही में दर्ज किया गया व कब बैंक में जमा करवाया गया से सम्बन्धित प्रविष्टियों को अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा चूककर्ता से राशि ₹19,360/- की वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

किराये के रूप में ₹10,06,248.00 की वसूली न करना :-

किराये से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि (परिशिष्ट "ख" पर वर्णित) किरायेदारों द्वारा गत कई वर्षों से किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले अंकेक्षण के समय यह राशि ₹9,26,659.00 थी जो अब बढ़ कर ₹10,06,248.00 हो गई है तथा इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः किराये की राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी पग उतारें जाएं तथा दुकानदारों, प्लॉट मालिकों द्वारा किराया समय पर न देने की स्थिति में किराये की बकाया राशि पर धाज का प्रावधान करके कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

कशर मालिकों से किराये के रूप में ₹2,73,000/- की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि (परिशेष: "ग" पर वर्णित) कशर मालिकों से ₹2,73,000.00 की राशि वसूली हेतु बकाया थी। कशर मालिकों से किराये की वसूली न करना एक लापरवाही का मामला है। अतः न्यास पशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रयास किए जाएं तथा समय पर बकाया राशि की वसूली न होने की स्थिति में ब्याज सहित किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

मन्दिर जमीन पर किरायेदारों से किराया वसूलने बारे :-

ऑडिट द्वारा रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि परिशेष: "घ" पर वर्णित व्यक्तियों/फर्मों को किराये पर भूमि तो दे दी गई है लेकिन इन किरायेदारों से किराया वसूलने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है तथा इनसे किराये की वसूली को बन्द कर दिया गया है परन्तु जमीन/दुकाने किरायेदारों के कब्जे में हैं व उनका कार्य/व्यापार सुचारु रूप से चला हुआ है।

अतः मन्दिर पशासन से अनुरोध है कि या तो किराया वसूलना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा जमीन/दुकान का कब्जा सुनिश्चित किया जाए अन्यथा जमीन/दुकान का कब्जा छुड़ाया जाए तथा इसे पुनः किराये पर दिया जाए ताकि मन्दिर की आय में वृद्धि हो सके व इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई तीस नीति अपनाई जाए तथा किराये की बढ़ोतरी किराया नियमों अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

पट्टाधारियों की पट्टा अवधि समाप्त होने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशेष: "ङ" पर वर्णित किरायेदारों की पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी है अतः बाजारी भाव दरों के दृष्टिगत इनका पुनः किराया निर्धारण किया जाए व लीज डीड का नवीनीकरण किया जाए।

केंद्रीय पूल में दी गई राशि ₹5,00,000/- के अनुचित भुगतान बारे :-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर कोष से राशि ₹2,50,000/- वाक्तचर संख्या 118, दिनांक 26.10.2009 द्वारा तथा राशि ₹2,50,000/- वाक्तचर संख्या 185, दिनांक 19.06.2010 द्वारा केंद्रीय पूल में जमा करवाए गए। जबकि हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की किसी भी धारा/नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि मन्दिर न्यास निधि से धनराशि निकालकर केंद्रीय पूल में जमा करवाई जाए।

उपरोक्त धन राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से हन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राशि किस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पूल से खर्च की गई, का कोई भी अभिलेख मन्दिर न्यास के पास नहीं है। अतः जिन नियमों के अन्तर्गत राशियों का भुगतान किया गया है उन्हें दर्शाकर व जिन कार्यों हेतु इन्हें प्रयोग में लाया गया है उन्हें दर्शाकर किए गए भुगतानों को उचित तहराया जाए व की गई कारवाई से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

वारुचर संख्या 74, दिनांक 26.03.2010, राशि ₹2,00,000/- :-

कार्य का नाम	पॉलिथ प्रोटक्शन (टोवाल)/रिटैनिंग वॉल लगाने का कार्य
देकेदार का नाम	श्री सर्वजीत सिंह कटोच
अनुमानित राशि	₹2,11,478/-

उपरोक्त निमोण कार्य की निवेदा सूचना दैनिक समाचार पत्र आपका फैसला में दिनांक 24.09.2009 को लगाई गई। नियमानुसार यह सूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में लगावाई जानी बांझनीय थी। इस प्रकार सम्बन्धित कार्य को करवाने के लिए वाइड पब्लिसिटी नहीं की जा सकी जिसका औचित्य ऑडिट को स्पष्ट किया जाए व भविष्य में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने के लिए कम से कम दो समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस देना सुनिश्चित किया जाए।

वारुचर संख्या 58, दिनांक 16.03.2010, राशि ₹2,00,000/- :-

राशि ₹2,00,000/- गाधक गौशाला झाड़कुलाड़ा को रौड़ निमोण के लिए स्वीकृत की गई है। उपरोक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कार्य पूर्ण रूप से निष्पादित कर दिया है।

अतः अंकेक्षण को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाए व आगामी अंकेक्षण के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाना सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में ऑडिट द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि मन्दिर न्यास में तकनीकी शाखा कार्यरत है तो ऐसा कार्य इसी शाखा द्वारा करवाया जाए।

राशि ₹3,990/- आयकर के रूप में न काटने बारे :-

अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास डमटाल द्वारा विभिन्न देकेदारों को बिलों का भुगतान करते समय निम्न विवरणानुसार कम दर से आयकर काटा गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः मन्दिर प्रशासन से अनुरोध किया जाता है कि निम्न प्रकरणों में आपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	वा०सं०	दिनांक	बिल की राशि	वसूली योग्य आयकर की राशि	काटे गए आयकर की राशि	कम काटे गए आयकर की राशि
1	785	31.12.09	21,382.00	479.00	214.00	265.00
2	03	01.01.10	11,762.00	263.00	118.00	145.00
3	04	01.01.10	9,782.00	219.00	98.00	121.00
4	05	01.01.10	1,66,750.00	3,735.00	1,668.00	2,067.00
5	25	27.01.10	71,661.00	1,605.00	717.00	888.00
6	26	27.01.10	40,605.00	910.00	406.00	504.00
कुल गोग						3,990.00

वाहन संख्या एच०पी०-40ए-0055 के प्रयोग बारे :-

वाहन संख्या एच०पी०-40ए-0055 की लॉग बुक की पेज संख्या 36, दिनांक 11.10.2009 से 13.10.2009 की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि इन दिनांकों को गाड़ी का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है।

दिनांक	यात्रा का विवरण	कि०मी०
11.10.2009	डमटाल से पतानकोट वापिस डमटाल	220 कि०मी०
12.10.2009	डमटाल से पतानकोट धर्मशाला (लोकल)	140 कि०मी०
13.10.2009	धर्मशालासे डमटाल	170 कि०मी०

इस प्रकार कुल 530 कि०मी० गाड़ी चलाई गई जिसमें (VIP) ड्यूटी दिखाई गई है इससे सम्बन्धित कोई भी लिखित आदेश ऑडिट में नहीं दिखाया गया है तथा न ही लॉग बुक को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित ही किया गया है जिसकी अनुपस्थिति में उक्त यात्राओं की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त की गई यात्राओं से सम्बन्धित लिखित आदेश प्राप्त करके आगामी अंकेशन में औचित्य स्पष्ट करना सुनिश्चित किया जाए।

वाहन संख्या एच०पी०-40ए-0055 को कार्यक्षेत्र से बाहर ले जाने की अनुमति बारे :-

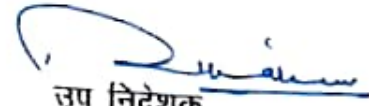
ऑडिट द्वारा उपरोक्त वाहन की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि वाहन द्वारा दिनांक 28.03.2010 को नूरपुर से शिमला (360 कि०मी०) तथा दिनांक 29.03.2010 को शिमला से नूरपुर (320 कि०मी०) की यात्राएँ की गईं दर्शाई गई हैं जबकि यह यात्राएँ कोर्ट केस के बारे में बातें हेतु की गईं दर्शाई हैं। अतः उपरोक्त वाहन को कार्यक्षेत्र से बाहर ले जाने की सक्षम अधिकारी की कार्यान्तर स्वीकृति ऑडिट को दिखानी सुनिश्चित की जाए।

लघु आपत्ति वितरणिका :- गह अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपत्ति का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र एभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

08 JUL 2011

AD/9



उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

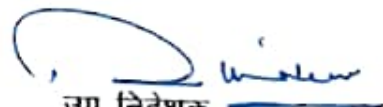
पृष्ठांकन संख्या :- फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)202/99, -3296703799 दिनांक, शिमला-171009

पतिलेखे निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :-

- प्रतिकृत :- 1. मन्दिर अधिकारी श्री राम गोपाल मन्दिर ट्रस्ट, डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सतिष्यण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।
2. उपायुक्त कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)।
3. सचिव (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
4. निदेशक (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश शिमला-171009

08 JUL 2011

AD/9



उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.